

संदर्भ: आईआरडीएआई/टीपीए/ओआरडी/विधि/98/07/2024

Ref: IRDAI/TPA/ORD/MISC/98/07/2024

मेसर्स अनमोल मेडिकेयर इंश्योरेंस टीपीए लिमिटेड के मामले में आदेश
Order in the matter of M/S Anmol Medicare Insurance TPA Limited

निम्नलिखित के आधार पर / Based on the

- क. अनमोल मेडिकेयर इंश्योरेंस टीपीए लिमिटेड (इस आदेश में इसके बाद *अनमोल टीपीए / टीपीए* के रूप में उल्लिखित) द्वारा आईआरडीएआई (टीपीए – स्वास्थ्य सेवाएँ) विनियम, 2016 के उपबंधों का अनुपालन करने में कमियाँ पाने के कारण कारण बताओ नोटिस (एससीएन) दिनांक 20 नवंबर, 2023.
 - a. Show Cause Notice (SCN) dated 20th November, 2023 observing deficiencies in complying with the provisions of IRDAI (TPA-Health Services) Regulations, 2016 (hereafter referred to as *TPA Regulations*) by Anmol Medicare Insurance TPA Limited (hereafter referred to as *Anmol TPA / the TPA*).
- ख. उपर्युक्त एससीएन के लिए उक्त टीपीए द्वारा दिनांक 27 नवंबर, 2023 के पत्र द्वारा अपने लिखित उत्तर में दिया गया प्रत्युत्तर।
 - b. Response to the above SCN given by the TPA in their written replies vide letter dated 27th November, 2023.
- ग. श्री बी. सी. पटनायक, सदस्य (जीवन), की अध्यक्षता में आईआरडीएआई कार्यालय, हैदराबाद में 4 जनवरी, 2024 को आयोजित वैयक्तिक सुनवाई के दौरान टीपीए द्वारा किये गये प्रस्तुतीकरण।
 - c. Submissions made by the TPA during personal hearing chaired by Sh. B.C. Patnaik, Member (Life), on 4th January, 2024 at IRDAI Office, Hyderabad.
- घ. टीपीए द्वारा पत्र दिनांक 10 जनवरी, 2024 के अनुसार किये गये अतिरिक्त प्रस्तुतीकरण।
 - d. Further submissions made by the TPA vide letter dated 10th January, 2024.

पृष्ठभूमि / Background

1. अनमोल टीपीए को पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) सं. 27, 27 अक्टूबर, 2005 को प्रदान किया गया। उक्त सीओआर का नवीकरण, पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 17 सितंबर, 2020 के अनुसार 27.10.2020 से 26.10.2023 तक किया गया। उक्त सीओआर नवीकरण के लिए 26 अक्टूबर, 2023 को नियत था तथा नवीकरण आवेदन दिनांक 19 सितंबर, 2023, टीपीए द्वारा 22 सितंबर, 2023 को फाइल किया गया। Anmol TPA was granted Certificate of Registration (CoR) No. 27 on 27th October, 2005. The CoR was renewed for the period 27.10.2020 to 26.10.2023 vide Certificate of Registration dated 17th September, 2020. The CoR was due for renewal on 26th October, 2023 and the renewal application dated 19th September, 2023 was filed by the TPA on 22nd September, 2023.

2. नवीकरण के लिए आवेदन की जाँच करने पर पाया गया कि टीपीए ने आईआरडीएआई (टीपीए – स्वास्थ्य सेवाएँ) विनियम, 2016 के विनियम 14 और 15 के साथ पठित परिपत्र संदर्भ: आईआरडीएआई/टीपीए/आरईजी/सीआईआर/130/06/2020 दिनांक 03 जून, 2020 के अनुबंध-11 के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम व्यावसायिक अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं किया है।

On examining the renewal application, it was observed that the TPA did not comply with the Minimum Business Requirements (MBR) stipulated under Annexure-11 of Circular Ref: IRDAI/TPA/REG/CIR/130/06/2020 dated 03rd June, 2020 read with Regulation 14 and 15 of IRDAI (TPA – Health Services) Regulations, 2016.

3. टीपीए विनियम, 2016 के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम व्यावसायिक अपेक्षाएँ यहाँ पुनः प्रस्तुत की जा रही हैं: The Minimum Business Requirements as stipulated under TPA Regulations, 2016 are reproduced here under:

क. “14. न्यूनतम व्यावसायिक अपेक्षाएँ:

a. “14. Minimum Business Requirements:

प्राधिकरण के पास पंजीकृत प्रत्येक टीपीए प्राधिकरण के पास पंजीकृत बीमाकर्ताओं के लिए स्वास्थ्य सेवाओं हेतु ऐसे न्यूनतम व्यावसायिक मानदंडों को पूरा करेगा जो समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किये जा सकते हैं जो उनमें विनिर्दिष्ट तारीख से प्रभावी हैं।

Every TPA registered with the Authority shall comply with such minimum business norms towards health services for the insurers registered with the Authority as may be specified by the Authority from time to time and with effect from such date as may be specified therein.

बशर्ते कि इन विनियमों के विनियम 3 (1) (ग), विनियम 3 (1) (घ), विनियम 3 (1) (ङ) और विनियम 3 (1) (च) में उल्लिखित सेवाओं के संबंध में किये गये व्यवसाय की गणना विनिर्दिष्ट न्यूनतम व्यावसायिक मानदंडों के लिए नहीं की जाएगी।

Provided that the business carried out in respect of the services referred at Regulation 3 (1) (c), Regulation 3 (1) (d), Regulation 3 (1) (e) and Regulation 3 (1) (f) of these Regulations shall not be reckoned towards the minimum business norms specified.

- ख. परिपत्र संदर्भ: आईआरडीएआई/टीपीए/आरईजी/सीआईआर/130/06/2020 दिनांक 03 जून, 2020 के अनुबंध-11 के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम व्यावसायिक मानदंड भी यहाँ नीचे पुनः प्रस्तुत किये जाते हैं:**

- b. The Minimum business norms as stipulated under Annexure-11 of Circular Ref: IRDAI/TPA/REG/CIR/130/06/2020 dated 03rd June, 2020 are also reproduced hereunder:**

01-04-2016 से या पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने की तारीख से, जो भी बाद में हो, पूरे किये गये वित्तीय वर्षों की संख्या Number of Financial Years completed since 01-04-2016 or date of granting the Certificate of Registration, whichever is later	सर्विस की गई पालिसियों की सं. मानदंड-1 Number of policies serviced Parameter - 1	सर्विस किये गये जीवनों की संख्या मानदंड-2 Number of lives serviced Parameter - 2
दूसरा वर्ष / Second Year	2500	5000

तीसरा वर्ष / Third Year	5000	10000
चौथे वर्ष से छठवें वर्ष Fourth Year to Sixth Year	10000	25000
सातवें वर्ष से लेकर आगे From Seventh Year onwards	15000	50000

- ग. इसके अलावा, न्यूनतम व्यावसायिक मानदंड अन्य बातों के साथ-साथ यह भी विनिर्दिष्ट करते हैं कि "प्रत्येक टीपीए व्यवसाय के दूसरे और तीसरे वर्षों के दौरान कम से कम दो बीमाकर्ताओं के साथ, व्यवसाय के चौथे से छठवें वर्ष के दौरान न्यूनतम तीन बीमाकर्ताओं के साथ तथा सातवें वर्ष से लेकर आगे न्यूनतम चार बीमाकर्ताओं के साथ स्वास्थ्य सेवा करार करने के लिए प्रयास करेगा" जबकि टीपीए के पास 6वें, 7वें और 8वें वर्ष के दौरान केवल 2 बीमाकर्ता ही थे।
- c. Further, the minimum business norms also inter alia specify that "every TPA shall endeavour to enter into Health Services Agreement with at least two insurers during second and third years of business, a minimum of three insurers during fourth to sixth year of business and a minimum of four insurers from seventh year onwards" whereas TPA has SLA with only 2 Insurers during 6th, 7th and 8th Year.
4. उपर्युक्त से देखा गया है कि प्राधिकरण द्वारा निर्धारित रूप में न्यूनतम व्यावसायिक अपेक्षाएँ अनमोल टीपीए पर वित्तीय वर्ष 2016-17 से लेकर आगे लागू थीं।
From the above, it is noted that the Minimum Business Requirements as stipulated by the Authority were applicable to Anmol TPA from FY 2016-17 onwards.
5. टीपीए ने दिनांक 22 सितंबर, 2023 के नवीकरण आवेदन में पूर्ववर्ती तीन वर्षों में उनके द्वारा किये गये व्यवसाय के संबंध में निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत किया:
The TPA in the renewal application dated 22nd September, 2023 furnished the following details with regard to the business stated to have been carried out by them in the preceding three years:

आंकड़े पूर्ण संख्याओं में / Figures in absolute numbers				
क्र.सं. Sr.No.	सूचना का विवरण Particulars of Information	वित्तीय वर्ष (पिछले तीन वित्तीय वर्ष) Financial Years (previous three financial years)		
		2021-22 (6वाँ वर्ष) (6 th year)	2022-23 (7वाँ वर्ष) (7 th year)	01.04.23 से 31.09.23 (8वाँ वर्ष)(6 महीने) (8 th year)(6 months)
1	बीमाकर्ताओं की संख्या जिनके साथ एसएलए किये गये हैं No. of insurers with whom SLAs entered with	2	2	2
2	स्वास्थ्य पालिसियों के अंतर्गत कवर किये गये जीवनों की संख्या (टीपीए विनियमों के विनियम 14 और परिपत्र के उपबंधों के अनुसार सूचना दी जाए) No. of Lives covered under Health Policies (to be reported as per provisions of Reg. 14 of TPA Regulations & Circular	88,331	87,991	39,168
3	सर्विस की गई पालिसियों की संख्या (टीपीए विनियमों के विनियम 14 और परिपत्र के उपबंधों के अनुसार सूचना दी जाए) No. of Policies Served (to be reported as per provisions of Reg. 14 of TPA Regulations and Circular	9,568	11,437	5,725

6. प्रस्तुत की गई सूचना से, यह पाया गया है कि टीपीए ने यहाँ नीचे विनिर्दिष्ट रूप में न्यूनतम व्यावसायिक अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं किया है:

From the information furnished, it is observed that the TPA did not comply with the Minimum Business Requirements as specified hereunder:

01-04-16 से वित्तीय वर्ष की संख्या No of financial year since 01-04-16	वि.व. FY	सर्विस की गई पालिसियों की संख्या No. of Policies Serviced (मानदंड / Parameter 1)			सर्विस किये गये जीवनों की संख्या No. of Lives Serviced (मानदंड / Parameter 2)			टिप्पणी Remarks
		लक्ष्य Target	वास्त- विक Actual	पूर्ति की स्थिति Status of fulfilment	लक्ष्य Target	वास्त- विक Actual	पूर्ति की स्थिति Status of fulfilme nt	
6 ^{वाँ} वर्ष 6 th year (2021-22)	2021-22	10,000	9,568	<u>नहीं</u> No	25,000	88,331	हाँ Yes	मानदंड 1 को पूरा करने में कमी 20 % के अंदर है। तथापि, मानदंड 2 20 % से अधिक है। अतः इसे विनियम 15 (ग)(6)(क) के अनुसार वि.व. 21-22 के लिए एमबीआर अपेक्षाओं के अनुपालन के रूप में माना जाता है। Deficit in fulfilling Parameter 1 is within 20 %. However, parameter 2 exceeds by more than 20 %. Hence this is considered as compliance to MBR requirements for FY 21-22 as per reg. 15 (C) (6) (a).
7 ^{वाँ} वर्ष 7 th year (2022-23)	2022-23	15,000	11,437	<u>नहीं</u> No	50,000	87,991	हाँ Yes	मानदंड 1 को पूरा करने में कमी 20 % से अधिक है। अतः विनियम 15(ग)(6)(क) के अनुसार वि.व. 22-23 के लिए एमबीआर अपेक्षाओं का अनुपालन पूरा नहीं किया गया है। Deficit in fulfilling Parameter 1 is more than 20 %. Hence, compliance to MBR requirements is not met for FY 22-23 as per reg. 15 (C) (6) (a).
8 ^{वाँ} वर्ष (01.04.23 से 30.09.23) 8 th year (01.04.23 to 30.09.23)	2023-24 (6 महीने) 2023-24 (6 months)	7,500*	5,725	<u>नहीं</u> No	25,000*	39,168	हाँ Yes	मानदंड 1 को पूरा करने में कमी 20 % से अधिक है। अतः विनियम 15(ग)(6)(क) के अनुसार वि.व. 23-24 के लिए एमबीए अपेक्षाओं का अनुपालन पूरा नहीं किया गया है। Deficit in fulfilling Parameter 1 is more than 20 %. Hence, compliance to MBR requirements is not met for FY 23-24 as per reg. 15 (C) (6) (a).

*परिपत्र: आईआरडीएआई/टीपीए/आरईजी/सीआईआर/130/06/2020 दिनांक 03 जून 2020 के अनुबंध 11 के अनुसार छह महीने के लिए समानुपातिक लक्ष्य।

*Proportionate target for six months as per Annexure 11 of Circular Ref: IRDAI/TPA/REG/CIR/130/06/2020 dated 03rd June 2020

7. विनियम 15(ग) (6)(ग) के अनुसार, जहाँ टीपीए ने टीपीए विनियमों के विनियम 15(ग) (6)(क) या 15(ग) (6)(ख) का अनुपालन नहीं किया है, उक्त पंजीकरण का नवीकरण नहीं किया जाएगा।

As per Regulation 15(C) (6)(c), where a TPA has failed to comply with Reg.15(C) (6)(a) or 15(C) (6)(b) of TPA regulations, the registration shall not be renewed.

8. अतः ऊपर संदर्भित उपबंध को लागू करते हुए टीपीए को कारण बताओ नोटिस दिनांक 20 नवंबर, 2023 जारी किया गया।

Hence, a Show Cause Notice dated 20th November, 2023 was issued to the TPA invoking the above referred provision.

9. टीपीए ने बताया कि वित्तीय वर्ष 22-23 और वित्तीय वर्ष 23-24 की विचाराधीन अवधि के दौरान मानदंड 1 (सर्विस की गई पालिसियों की संख्या) के संबंध में, क्रमशः केवल 563 पालिसियों की कमी (15000 पालिसियों का 80% = 12000-11437 = 563) तथा 275 पालिसियों की कमी है (7500 पालिसियों का 80% = 6000-5725 = 275)। जबकि इसी समय, मानदंड-2 अर्थात् सर्विस किये गये जीवन वित्तीय वर्ष 22-23 में अपेक्षित 50,000 जीवनों की तुलना में 87,991 हैं (जो लक्ष्य से 75.89% अधिक है) तथा वित्तीय वर्ष 23-24 के लिए विचाराधीन अवधि में अपेक्षित 25,000 जीवनों की तुलना में 39,168 है (जोकि लक्ष्य से 56.67% अधिक है)। टीपीए ने मानदंड-2 को ध्यान में रखते हुए जहाँ वह 20% से अधिक है, मानदंड-1 में विद्यमान कमी से छूट देने के लिए प्राधिकरण से अनुरोध किया है।

The TPA has stated that during the FY 22-23 and the period under consideration for FY 23-24, in respect of Parameter 1 (No. of policies serviced), there is a deficit of only 563 policies (80% of 15000 policies = 12000-11437=563) and 275 policies (80% of 7500 policies = 6000-5725 = 275) respectively. While at the same time, under Parameter-2 i.e., No. of lives serviced are 87,991 against the required 50,000 lives in FY 22-23 (which is 75.89% higher than target) and 39,168 against the required 25,000 lives in period under consideration for FY 23-24 (which is 56.67% higher than target). The TPA has requested the Authority to waive off shortfall in Parameter-1 in view of Parameter-2 where it is exceeding by more than 20%.

10. टीपीए ने यह भी कहा है कि औसत आधार पर वर्ष 21-22, 22-23 और 23-24 (छह महीने के आधार पर), मानदंड-1 के अंतर्गत पालिसियों के लक्ष्य की संख्या 10833.33 पालिसियाँ है तथा उन्होंने 8910 पालिसियों की सर्विसिंग की है जहाँ कमी 17.75% (20% मार्जिन से कम) है। साथ ही, इसी समय मानदंड-2 के अंतर्गत, जीवनों की संख्या का लक्ष्य 33333.33 है और उन्होंने 71,830 जीवनों की सर्विसिंग की है जो मानदंड-1 में विद्यमान कमी (17.75%) से अधिक है, अतः विचाराधीन अवधि के लिए औसत आधार पर एमबीआर के संबंध में विचार करते हुए, इसे एमबीआर के अनुपालन के रूप में माना जाए। टीपीए ने एक वैयक्तिक सुनवाई के लिए भी अनुरोध किया है।

The TPA has further stated that considering total business for the years 21-22, 22-23 & 23-24 (based on six months) on an average basis, target number of policies under Parameter-1 is 10833.33 policies and they have serviced 8910 policies where short fall is 17.75% (less than 20% margin). At the same time under Parameter-2, target number of lives is 33333.33 and they have serviced 71,830 lives which is greater than the deficit as in the parameter-1 (17.75%) so considering MBR on an average basis for the period

under consideration, it may be considered as compliance to MBR. The TPA also requested for a personal hearing.

11. टीपीए द्वारा किये गये अनुरोध के अनुसार, उक्त टीपीए को वैयक्तिक सुनवाई का आयोजन आईआरडीएआई कार्यालय में 04 जनवरी, 2024 को किया गया तथा इसकी अध्यक्षता श्री बी.सी. पटनायक, सदस्य (जीवन), आईआरडीएआई ने की।

As requested by the TPA, a personal hearing was accorded to the TPA which was held on 04th January, 2024 at IRDAI Office and was chaired by Sh. B.C. Patnaik, Member (Life), IRDAI.

12. उक्त टीपीए कंपनी का प्रतिनिधित्व श्री पी. एस. क्षत्रिय, सीईओ और श्री मनोज शाह, वरिष्ठ कार्यकारी ने किया। प्राधिकरण की ओर से, श्री ए. रमण राव, मुख्य महाप्रबंधक (स्वास्थ्य), श्री पंकज कुमार तिवारी, महाप्रबंधक (स्वास्थ्य) और डा. पंकज शर्मा, सहायक महाप्रबंधक (स्वास्थ्य) उक्त वैयक्तिक सुनवाई में उपस्थित थे।

The TPA company was represented by Sh. P.S. Kshatriya, CEO and Sh. Manoj Shah, Senior Executive. On behalf of the Authority, Sh. A. Ramana Rao, Chief General Manager (Health), Sh. Pankaj Kumar Tewari, General Manager (Health) and Dr. Pankaj Sharma, Assistant General Manager (Health) were present in the personal hearing.

13. टीपीए द्वारा किये गये प्रस्तुतीकरणों के संबंध में निष्कर्ष तथा उनपर निर्णय निम्नानुसार हैं:

The findings on the submissions made by the TPA and the decisions thereon are as under:

आरोप / Charge:

14. टीपीए ने परिपत्र संदर्भ: आईआरडीएआई/टीपीए/आरईजी/सीआईआर/130/06/2020 दिनांक 03 जून, 2020 के अनुबंध 11 के साथ पठित आईआरडीएआई (टीपीए-स्वास्थ्य सेवाएँ) विनियम, 2016 के विनियम 14 और 15 के अंतर्गत यथाविनिर्दिष्ट न्यूनतम व्यावसायिक अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं किया है।

The TPA did not comply with the Minimum Business Requirements as specified under Regulation 14 and 15 of IRDAI (TPA-Health Services) Regulations, 2016 read with Annexure 11 Circular Ref: IRDAI/TPA/REG/CIR/130/06/2020 dated 03rd June, 2020.

टीपीए के प्रस्तुतीकरणों का सारांश / Gist of TPA's submissions:

15. पत्र दिनांक 27 नवंबर, 2023 के अनुसार किये गये प्रस्तुतीकरणों को दोहराते हुए टीपीए ने आगे निम्नलिखित प्रस्तुतीकरण किये:

While reiterating the submissions made vide letter dated 27th November, 2023, the TPA further made the following submissions:

- i. विचाराधीन 3 वर्षों में से टीपीए न्यूनतम व्यावसायिक अपेक्षाओं को वित्तीय वर्ष 21-22 में पूरा कर सका।

Out of 3 years under consideration, TPA was able to meet the Minimum Business Requirements in FY 21-22.

- ii. उनका मुख्य व्यवसाय खुदरा है तथा समूह खंड की तुलना में खुदरा तौर पर अपेक्षाओं को पूरा करना कठिन है।
Their main business is retail and meeting the requirements in retail is difficult when compared with the Group segment.
- iii. अब, टीपीए ने व्यवसाय का स्रोतीकरण करने के लिए लोगों को नियुक्त किया है जो भविष्य में एमबीआर अपेक्षाएँ पूरी करने के लिए टीपीए की सहायता करेंगे।
Now, the TPA has engaged people to source business which will help the TPA to meet the MBR requirements in future.
- iv. वर्तमान वित्तीय वर्ष 23-24 में (31.12.2023 की स्थिति के अनुसार), टीपीए ने 11,250 पालिसियों और 37,500 जीवनों की न्यूनतम व्यावसायिक अपेक्षा की तुलना में 10,117 पालिसियों और 55,195 जीवनों की सर्विस की है।
In the present FY 23-24 (as on 31.12.2023), the TPA has served 10,117 Policies and 55,195 lives as against the Minimum Business Requirement of 11,250 policies and 37,500 lives.
- v. टीपीए को हाल ही में एक बीमाकर्ता के कई कार्यालयों के द्वारा व्यवसाय का आबंटन किया गया है।
TPA has been recently allotted business by many offices of an insurer.

16. प्राधिकरण ने दिनांक 7.3.2024 के ई-मेल के द्वारा युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से टीपीए के कार्यनिष्पादन के संबंध में टिप्पणियाँ माँगीं, जिनका सेवा स्तरीय करार उक्त टीपीए के साथ है। बीमाकर्ता ने ई-मेल दिनांक 18.04.2024 के अनुसार उत्तर दिया कि केवल दो क्षेत्रीय कार्यालयों की सर्विसिंग टीपीए के द्वारा किया जा रहा है जहाँ वर्ष में प्रीमियम आबंटन जुलाई, 2022 से 2 करोड़ रुपये के अधीन लगभग अवरुद्ध रहा है।

Authority vide its email dated 7.3.2024 had sought comments on the performance of the TPA from the United India Insurance Company which is having service level agreement with the TPA. The insurer vide email dated 18.04.2024. replied that only two regional offices were being serviced by the TPA with the premium allocation over the year remaining almost stagnant at under Rupees 2 crores since July, 2022.

प्राधिकरण का निर्णय / Decision of the Authority:

17. टीपीए द्वारा किये गये प्रस्तुतीकरणों तथा बीमाकर्ता जिसका सेवा स्तरीय करार स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने के लिए टीपीए के साथ है, के उत्तरों पर विचार करते हुए, टीपीए की न्यूनतम व्यावसायिक अपेक्षा (एमबीआर) के आंकड़े और अनुपालन की स्थिति निम्नानुसार हैं :

Considering the submissions made by the TPA and the responses of the insurer who had a service level agreement with the TPA for rendering health services, the Minimum Business Requirement (MBR) figures of the TPA and the status of compliance are as under:

01-04-16 से वित्तीय वर्ष की संख्या No of financial year since 01-04-16	वि.व. FY	सर्विस की गई पालिसियों की संख्या No. of Policies Serviced (मानदंड / Parameter 1)			सर्विस किये गये जीवनों की सं. No. of Lives Serviced (मानदंड / Parameter 2)			टिप्पणी Remarks
		लक्ष्य Target	वास्त- विक Actual	पूर्ति की स्थिति Status of fulfilment	लक्ष्य Target	वास्त-विक Actual	पूर्ति की स्थिति Status of fulfilment	
6वाँ वर्ष 6 th year (21-22)	21-22	10,000	9,568	<u>नहीं</u> No	25,000	88,331	हाँ Yes	मानदंड 1 को पूरा करने में कमी 20% के अंदर है। तथापि, मानदंड 2, 20% से अधिक है। अतः यह विनियम 15(ग)(6)(क) के अनुसार वि.व. 21-22 के लिए एमबीआर अपेक्षाओं के अनुपालन के रूप में माना जाता है। Deficit in fulfilling Parameter 1 is within 20 %. However, parameter 2 exceeds by more than 20 %. Hence this is considered as compliance to MBR requirements for FY 21-22 as per reg. 15 (C) (6) (a).
7वाँ वर्ष 7 th year (22-23)	22-23	15,000	11,437	<u>नहीं</u> No	50,000	87,991	हाँ Yes	मानदंड 1 को पूरा करने में कमी 20% से अधिक है। अतः, विनियम 15(ग)(6)(क) के अनुसार वि.व. 22-23 के लिए एमबीआर अपेक्षाओं का अनुपालन पूरा नहीं किया गया है। Deficit in fulfilling Parameter 1 is more than 20 %. Hence, compliance to MBR requirements is not met for FY 22-23 as per reg. 15 (C) (6) (a).
8वाँ वर्ष (01.04.23 से 30.09.23) 8 th year (01.04.23 to 30.09.23)	2023-24 (6 महीने) 2023-24 (6 months)	7,500*	5,725	<u>नहीं</u> No	25,000*	39,168	हाँ Yes	मानदंड 1 को पूरा करने में कमी 20% से अधिक है। अतः, विनियम 15(ग)(6)(क) के अनुसार वि.व. 23-24 के लिए एमबीआर अपेक्षाओं का अनुपालन पूरा नहीं किया गया है। Deficit in fulfilling Parameter 1 is more than 20 %. Hence, compliance to MBR requirements is not met for FY 23-24 as per reg. 15 (C) (6) (a).

*परिपत्र संदर्भ: आईआरडीएआई/टीपीए/आरईजी/सीआईआर/130/06/2020 दिनांक 03 जून, 2020 के अनुबंध 11 के अनुसार छह महीने के लिए समानुपातिक लक्ष्य।

*Proportionate target for six months as per Annexure 11 of Circular Ref: IRDAI/TPA/REG/CIR/130/06/2020 dated 03rd June, 2020

18. इस प्रकार, निष्कर्ष निकाला जाता है कि टीपीए ने परिपत्र संदर्भ: आईआरडीएआई/टीपीए/आरईजी/सीआईआर/130/06/2020 दिनांक 03 जून, 2020 के अनुबंध-11 के अंतर्गत निर्धारित रूप में न्यूनतम व्यावसायिक मानदंडों के साथ पठित आईआरडीएआई (अन्य पक्ष प्रबंधक – स्वास्थ्य सेवाएँ) विनियम, 2016 के विनियम 14 के अंतर्गत यथाविनिर्दिष्ट मानदंड 1 में वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान तथा 1 अप्रैल, 2023 से 30 सितंबर, 2023 तक के दौरान न्यूनतम व्यावसायिक अपेक्षाओं को पूरा नहीं किया है।

Thus, it is concluded that the TPA did not fulfill the Minimum Business Requirements during FY 2022-23 and during 1st April, 2023 till 30th September, 2023, in Parameter 1 as specified under regulation 14 of IRDAI (Third Party Administrators - Health Services) Regulations, 2016 read with the Minimum Business norms as stipulated under Annexure-11 of Circular Ref: IRDAI/TPA/REG/CIR/130/06/2020 dated 03rd June, 2020.

यह भी पाया गया है कि विचाराधीन वर्षों के लिए औसत आधार पर टीपीए ने केवल सर्विस किये गये जीवनो की संख्या को ही पूरा किया है, न कि सर्विस की गई पालिसियों की संख्या को। इस प्रकार, टीपीए ने आईआरडीएआई (अन्य पक्ष प्रबंधक – स्वास्थ्य सेवाएँ) विनियम, 2016 के विनियम 15(ग) (6)(ख) का अनुपालन नहीं किया है। अतः विनियम 15(ग) (6)(ग) के अनुसार, जहाँ टीपीए ने आईआरडीएआई (अन्य पक्ष प्रबंधक – स्वास्थ्य सेवाएँ) विनियम, 2016 के विनियम 15(ग) (6)(क) या 15 (ग) (6)(ख) का अनुपालन नहीं किया है, उक्त पंजीकरण का नवीकरण नहीं किया जाएगा।

It is also observed that on an average basis for the years under consideration, the TPA fulfilled only the number of lives serviced but not the number of policies serviced. Thus, the TPA did not comply with Regulation 15(C) (6)(b) of IRDAI (Third Party Administrators - Health Services) Regulations, 2016. Hence, as per Regulation 15(C) (6)(c), where a TPA has failed to comply with regulation 15(C) (6)(a) or 15(C) (6)(b) of IRDAI (Third Party Administrators - Health Services) Regulations, 2016, the registration shall not be renewed.

19. इसे ध्यान में रखते हुए, तथा आईआरडीएआई (अन्य पक्ष प्रबंधक – स्वास्थ्य सेवाएँ) विनियम, 2016 के विनियम 15 (ग) (6)(ग) के साथ पठित विनियम 16(1)(च) के उपबंधों के अनुसार, प्राधिकरण अनमोल इंश्योरेंस टीपीए लि. द्वारा फाइल किये गये पंजीकरण सं. 27 के साथ युक्त नवीकरण आवेदन को अस्वीकार करता है।

In view of this, and as per provisions of Regulation 16(1)(f) to be read with Reg.15 (C) (6) (c) of IRDAI (Third Party Administrators - Health Services) Regulations, 2016, the Authority rejects the renewal application of TPA with Registration No. 27 filed by Anmol Medicare Insurance TPA. Ltd.

20. अनमोल टीपीए के टीपीए लाइसेंस सं. 27 के नवीकरण के लिए आवेदन के अस्वीकरण को देखते हुए, निम्नलिखित निदेशों का अनुपालन किया जाना चाहिए:

Following directions are to be complied with, in view of rejection of application for renewal of TPA License No. 27 of Anmol TPA;

- क. अनमोल टीपीए को अपनी कंपनी के नाम से शब्द अनमोल टीपीए को हटाने का निदेश दिया जाता है।
- a. Anmol TPA is directed to remove the word *Insurance TPA* from the name of its company.
- ख. आईआरडीएआई (अन्य पक्ष प्रबंधक – स्वास्थ्य सेवाएँ) विनियम, 2016 के विनियम 18 के अनुसार, अनमोल टीपीए बीमाकर्ताओं को वैकल्पिक कार्रवाई करने के लिए सूचित करेगा तथा ऐसे सभी बीमाकर्ता जिनका टीपीए करार अनमोल टीपीए के साथ है, तत्काल किसी अन्य टीपीए, यदि कोई हो, की नियुक्ति सहित ऐसे वैकल्पिक कदम उठाएँगे जैसे कि अनमोल टीपीए द्वारा सेवा किये गये पालिसीधारकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना जारी रखने के लिए आवश्यक हों।
- b. In terms of Reg. 18 of IRDAI (Third Party Administrators- Health Services) Regulations, 2016, Anmol TPA shall inform the insurers to take alternative steps and all such insurers who were having TPA agreement with Anmol TPA, shall immediately take such alternative steps including appointment of another TPA, if any, as may be necessary to continue to cater to the policy holders served by Anmol TPA.
- ग. अनमोल टीपीए अपने द्वारा संगृहीत किया गया डेटा एवं टीपीए व्यवसाय से संबंधित बहियाँ, अभिलेख या दस्तावेज आदि संबंधित बीमाकर्ताओं को तत्काल प्रस्तुत करेगा।
- c. Anmol TPA shall immediately submit the data collected and the books, records or documents etc., relating to the TPA business carried on by it to respective insurers.
- घ. अनमोल टीपीए उन पालिसीधारकों को सेवा प्रदान करने के लिए उपयुक्त वैकल्पिक व्यवस्थाएँ करने में बीमा कंपनियों के साथ सहयोग करेगा, जिनके संबंध में पालिसियाँ प्रचलन में हैं।
- d. Anmol TPA shall cooperate with insurance companies in making suitable alternate arrangements to service the policy holders in respect of whom the policies are in force.
- ङ. अनमोल टीपीए संबंधित बीमा कंपनियों और नेटवर्क प्रदाताओं, यदि कोई हों, के साथ खातों का समाधान और समापन करेगा।
- e. Anmol TPA shall, reconcile and close the accounts with concerned insurance companies and network providers, if any.

यदि उक्त टीपीए इस आदेश के निर्णय से असंतुष्ट है, तो बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 110 के अनुसार प्रतिभूति अपीलिय न्यायाधिकरण (एसएटी) को अपील प्रस्तुत की जा सकती है।

If the TPA feels aggrieved by the decision of this order, an appeal may be preferred to the Securities Appellate Tribunal as per Section 110 of the Insurance Act, 1938.



सदस्य / Member (जीवन / Life)

स्थान / Place : हैदराबाद / Hyderabad

दिनांक / Date : 04 जुलाई, 2024 / 04-Jul-2024